#1310

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला – चित्तौडगढ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपाखेड़ी

धारा अन्तर्गत – 136 प्र.सं. 1030 दायर दिनांक 9/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

क्र.स..	नाम- ग्राम	खा.न	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपा खेड़ी	286	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्ययीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रूपाखेड़ी प.ह. रूपाखेड़ी खातासं 286 में वर्तमान् प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी		शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर		स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	
			हस्ताक्षर पटवारी 9/10/25 पटवारी पटवार मण्डल रूपाखेड़ी कपासन जिला चित्तौडगढ	हस्ताक्षर गिरदावर ILR रूपाखेड़ी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार तहसीलदार (भू.अ.) तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ	पदेन सहायक कलक्टर कपासन सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौडगढ

प्रोतेलिपि पालनार्थः–

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला–चितौड़गढ़